राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांकः प.7(61)गृह–12/कारा/1996 पार्ट–00011 जयपुर, दिनांक : e-signed date

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– राजस्थान कारागार नियम–2022 में किये गये संशोधन संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि राजस्थान कारागार नियम, 2022 में दिनांक 12.12.2024 एवं 08.05.2025 को किये गये संशोधन के अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद राजस्थान राजपत्र में विशेषांक में दिनांक 06.08.2026 को प्रकाशित किया जा चुका है।

अतः राजस्थान कारागार नियम, 2022 में किये गये संशोधन के हिन्दी अनुवाद की राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय कुमावत)
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को राजस्थान कारागार नियम, 2022 में किये गये संशोधन के हिन्दी अनुवाद की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

सहायक शासन सचिव

Office Address – Room No. 1117, Home Department, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005 (Raj.)
Telephone No. 0141-2227246 E-Mail Id- home.jail@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 24075120

Digitally signed by VIJAY KUMAR KUMAWAT
Designation: Assistant Secretary
Date: 2026-08-17 17:10:58 IST

v-1.0

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, गुरूवार, शाके 1948- अगस्त 06, 2026 Sravana 15, Thursday, Saka 1948- August 06, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 08, 2025

जी.एस.आर.31 :-कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं.9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान कारागार नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम 3 के उप-नियम (1) के विद्यमान खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(द) "आभ्यासिक अपराधी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पांच वर्ष की किसी निरंतर कालावधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर कारित किसी एक या अधिक अपराधों के लेखे दो से अधिक अवसरों पर सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया हो और एक ही संव्यवहार को गठित करने वाले भाग ना हों, ऐसा दण्डादेश अपील या पुनरीक्षण में उलटा नहीं गया है:

परंतु उपर्युक्त निर्दिष्ट पांच वर्ष की निरंतर कालावधि की संगणना करने में, जेल में बितायी गयी कोई कालावधि, या तो कारावास के दंडादेश के अधीन या निरोध के अधीन, की गणना नहीं की जायेगी।"

[सं.प.4(2)गृह-12/कारा/2025]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

गोविन्द प्रसाद,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, गुरूवार, शाके 1948- अगस्त 06, 2026 Sravana 15, Thursday, Saka 1948- August 06, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2024

जी.एस.आर.32 :-कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं.9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान कारागार नियम, 2022 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कारागार (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 681 का संशोधन.- राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम 681 के विद्यमान उप-नियम (22) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(22) ऐसे बन्दी जो निकल भागने की प्रबल प्रवृत्ति दर्शित करते हैं या उनके निकल भागने की प्रबल संभावना है, भले ही पात्र हों, उन्हें बाहरी कार्य पर नियोजित नहीं किया जायेगा।''

[सं.प.4(1)गृह-12/कारा/2024-21426]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

गोविन्द प्रसाद,

शासन उप सचिव।

Government Central Press, Jaipur.